№ 012024

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 425

वर्ष 2009-10

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "इन्द्रासना राजिनन्दन सेवा संस्थान, आरा", मदन जी का हाता, पकड़ी थाना + पो० - नवादा, जिला - भोजपुर ।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख उन्नीस मास मई वर्ष दो हजार नौ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रयोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाये।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

"इन्द्रासना राजिनन्दन सेवा संस्थान, आरा"
का
स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम – "इन्द्रासना राजिनन्दन सेवा संस्थान, आरा"
2. प्रधान कार्यालय – "मदन जी का हाता, पकड़ी, आरा, थाना–नवादा, पो0–नवादा, जिला–भोजपुर (बिहार)" में रहेगा। आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य विभागों को दी जायेगी।
3. कार्यक्षेत्र – इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
4. उद्देश्य – इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा पुरुष एवं महिलाओं के लिए आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, आई. टी. आई. संस्था तथा विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना, पुस्तकालय, पत्र–पत्रिका, पुस्तक, पुस्तकों का प्रकाशन, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आवासीय विद्यालय, मूक–बधिर एवं विकलांग विद्यालय/महाविद्यालय का संचालन करना, गरीब–असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हरसंभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ाने में मदद करना।

2. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंस्थान आदि की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण इलाकों में कृषक क्लब बनाना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।

3. स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र, कैंसर एवं कुष्ठ अस्पताल का संचालन, सभी तरह के टीकाकरण शिविर का संचालन, विभिन्न प्रकार के नर्सिंग व पारामेडिकल पाठ्यक्रमों का संचालन, रक्तदान, नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा शिविर, परिवार नियोजन शिविर, मातृ एवं शिशु कल्याण शिविर का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना तथा लाभान्वित कराना। इसके अलावा घातक बीमारियों, एड्स, कालाजार, मलेरिया, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, टी0बी0, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से निजात दिलाने हेतु आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास तथा उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

5. शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, रेडियो एवं टेलिविजन निर्माण एवं मरम्मती, टाईपिंग, शॉर्टहैण्ड, ब्यूटीशियन कोर्स, इलेक्ट्रिकल्स, मोटर वाइंडिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का प्रयास करेगी।

6. समाज के सभी वर्गों विशेषकर पिछड़े तथा अल्पसंख्यक निरक्षरों के बीच नशाखोरी उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत जागरूकता प्रसार कार्यशाला का आयोजन, प्रशिक्षण शिविरों का संचालन तथा नशाखोरी के पुनर्वास की व्यवस्था करना, अवैध शराब, दवाई को बन्द कराना साथ ही गांजा, अफीम, हिरोइन आदि मादक वस्तुओं के दुष्प्रभाव के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना।

7. राष्ट्र को संकटकालीन स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक घटनाओं, जैसे – बाढ़, भूकम्प, अग्निकांड, अकाल या संक्रामक रोगों के प्रसार जैसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में सेवा शिविर का संचालन, राहत कार्य की समुचित व्यवस्था करना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना करना।

8. साम्प्रदायिक सद्भाव के उद्देश्य से सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कार्यशालाओं एवं सेमिनार आदि का संचालन करना। साम्प्रदायिक दंगों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में राहत शिविरों का संचालन तथा सौहार्दपूर्ण सौम्य वातावरण के निर्माण के लिए सार्थक पहल करना।

9. बालक/बालिकाओं के यौन शोषण को रोकना, बाल–मजदूरी की कुप्रथा को रोकना, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराना और उनके पुनर्वास, शिक्षा, उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना तथा उन्हें कानूनी अधिकार दिलाने के लिए अभियान चलाना।

10. स्वरोजगार हेतु फीटर, वेल्डर, मैशनिष्ट, टर्नर, मोल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्टमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मोटर ड्राईविंग इत्यादि ट्रेडों का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास करना।

11. पर्यावरण संबंधी जानकारी देकर आम जनता को स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए प्रेरित करना, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं मिट्टी प्रदूषण के प्रति जागरूकता पैदा करना, वन संरक्षण के प्रति रूचि पैदा करना तथा हरियाली अभियान चलाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करना।

12. चिकित्सा के विभिन्न पद्धतियों का प्रचार–प्रसार करना, आयुर्वेदिक पौधों, जड़ी–बूटी आदि का प्रचार–प्रसार कर उपलब्ध कराना। योगशाला, व्यायामशाला की स्थापना और संचालन करना।

13. औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्त्ति की व्यवस्था करना तथा तैयार माल के बिक्री की सभी स्थानीय एवं आयात–निर्यात की व्यवस्था करना।

14. समाज के चौमुखी विकास हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन में सहयोग करना।

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

15. लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग; खादी ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, पशु पालन, डेयरी उद्योग, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बनने में मदद करना तथा आवारा पशुओं के रख–रखाव की जिम्मेवारी, पशु स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना और जैविक खाद समेत कचरा, रासायनिक प्रदूषण प्रबंध कराना।

16. समाज में व्याप्त निरक्षरता, अशिक्षा, अज्ञानता के निवारण हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यकमों का संचालन कराना। विभिन्न स्तरों के शिक्षा संस्था की स्थापना और संचालन करना। मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं की मदद करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में हर संभव मदद करना और मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में सहयोग करना।

17. परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण योजना का प्रचार–प्रसार एवं कियान्वयन करना।

18. शिक्षण संस्थाओं एवं छात्रावास का निर्माण एवं संचालन, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, रात्रि पाठशाला, कन्डेन्सड कोर्स एवं बालवाडी तथा आंगनबाडी की व्यवस्था करना तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड तथा कपाट द्वारा संचालित सभी अन्य प्रकार के कार्यकमों को संचालित करना।

19. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, व्यस्क मताधिकार के बारे में जानकारी देना एवं जागरूक करना।

20. ग्रामीण / शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेय जल, सौचालय आदि उपलब्ध कराना। सुलभ यातायात हेतु सड़क, पुल–पुलिया, ~~निर्माण आदि कार्य~~ ~~करना~~ नदी नालों की बचाव करना।

21. भारत के स्वतत्रंता संग्राम सेनानियों एवं महान विभूतियों, साहित्यिक एवं अनुकरणीय राजनेताओं का जन्मदिवस, जयन्तियाँ तथा पुण्य तिथियाँ आयोजित करना एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समारोह का आयोजन करना।

22. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सामान्य उद्देश्यों कार्यक्रमों वाली संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना।

23. खादी व ग्रामोद्योग आयोग व राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योगों को चलाने तथा संस्था के लोगों को उसके माध्यम से रोजगार प्रदान करना, उत्पादित वस्तुओं के विक्रय–प्रचार, प्रदर्शनी एवं अनुसंधान का कार्य करना। मेधावी गरीब छात्र–छात्राओं की मदद करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में हर संभव मदद करना और मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में सहयोग करना।

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जीवकोपार्जन का साधन एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौंपा गया है ।

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	जीविकोपार्जन का साधन	पद
1.	ई० रामाधार पाण्डेय पिता-स्व०श्री इन्द्रदेव पाण्डेय	~~अर्स्कामिनी नगर~~ विक्रम गंज जिला-रोहतास।	अभियन्ता	अवकाश प्राप्त	अध्यक्ष
2.	डॉ० अरविन्द कुमार पिता-श्री अयोध्या प्रसाद राय	मदन जी का हाता पकड़ी, आरा	एम०ए० एल.एल.बी. पी-एच.डी.	शिक्षण	सचिव
3.	श्रीमती प्रियंका पति-रास बिहारी ~~पाण्डेय~~ राय	ग्राम+पो०-गारा जिला-रोहतास	एम०ए० बी०एड०	शिक्षण	कोषाध्यक्ष
4.	श्रीमती समीरा पाण्डेय पति-श्री सुवास पाण्डेय	ग्राम+पो०-सिमरी,थाना-सिमरी जिला-बक्सर	एम०ए०	व्यवसाय	सदस्य
5.	श्री भोला नाथ राय पिता-श्री कपिल देव राय	ग्राम+पो०-जमुआँव थाना-पीरो, जिला-भोजपुर	एम०ए०	व्यवसाय	सदस्य
6.	श्री कृष्ण कुमार राय पिता-श्री प्रहलाद राय	ग्राम+पो०-जमुआँव थाना-पीरो, जिला-भोजपुर	बी०ए०	शिक्षण	सदस्य
7.	श्री महेश प्र० राय पिता-स्व० राजीनन्दन राय	ग्राम+पो०-जमुआँव थाना-पीरो, जिला-भोजपुर	प्रवेशिका	कृषि	सदस्य

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, जीवकोपार्जन एवं पद नीचे दिया गया है। वर्तमान स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निवंधन में अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत समिति के निवंधन हेतु आकांक्षी हैं।

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	जीविकोपार्जन	हस्ताक्षर
1.	ई० रामाधार पाण्डेय पिता-स्व०श्री इन्द्रदेव पाण्डेय	~~अस्कामिनी नगर~~ विक्रम गंज जिला-रोहतास।	अवकाश प्राप्त	रामाधार पाण्डेय
2.	डॉ० अरविन्द कुमार पिता-श्री अयोध्या प्रसाद राय	मदन जी का हाता पकड़ी, आरा	शिक्षण	अरविन्द कुमार
3.	श्रीमती प्रियंका पति-रास बिहारी ~~पाण्डेय~~ राय	ग्राम+पो०-गारा जिला-रोहतास	शिक्षण	Priyanka
4.	श्रीमती समीरा पाण्डेय पति-श्री सुवास पाण्डेय	ग्राम+पो०-सिमरी,थाना-सिमरी जिला-वक्सर	व्यवसाय	समीरा पाण्डेय
5.	श्री भोला नाथ राय पिता-श्री कपिल देव राय	ग्राम+पो०-जमुऑव थाना-पीरो, जिला-भोजपुर	व्यवसाय	भोलानाथ राय
6.	श्री कृष्ण कुमार राय पिता-श्री प्रहलाद राय	ग्राम+पो०-जमुऑव थाना-पीरो, जिला-भोजपुर	शिक्षण	कृष्ण कुमार
7.	श्री महेश प्र० राय पिता-स्व० राजीनन्दन राय	ग्राम+पो०-जमुऑव थाना-पीरो, जिला-भोजपुर	कृषि	महेश प्रसाद राय

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं। जिन्हें मैं पहचानता हूँ ।

सत्यापन किया।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

पता

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

"इन्द्रासना राजिनन्दन सेवा संस्थान, आरा"

का

नियमावली

1. संस्था का नाम – "इन्द्रासना राजिनन्दन सेवा संस्थान, आरा"
2. परिभाषा –
   (क) संस्था का अभिप्राय होगा -
   (ख) समिति का अभिप्राय होगा - संस्था की कार्यकारिणी समिति।
   (ग) पदाधिकारी से अभिप्राय होगा - अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष
   (घ) वर्ष से अभिप्राय होगा - 1 अप्रैल से 31 मार्च तक
   (ङ) एक्ट से अभिप्राय होगा - सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट - 21, 1860
3. सदस्यता –

   कोई भी स्त्री एवं पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु विहित प्रमाण में आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 11/- रु० प्रवेश शुल्क एवं 51/- रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।
4. सदस्यता से विमुक्ति –

   निम्नलिखित अवस्था में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।
   (क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।
   (ख) पागल या मृत्यु होने पर।
   (ग) समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर।
   (घ) लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
   (ङ) बिना सूचना के लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित रहने पर।
   (च) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
5. कार्यकारिणी समिति का गठन –
   (क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित सात (7) सदस्य होंगे।
   (ख) कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा किया जायेगा।
   (ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा। निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं।
   (घ) अगर किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उस पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है, लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा। चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे।

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं कर्तव्य**

अध्यक्ष -

(क) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना।

(ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना।

(ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

सचिव -

(क) संस्था के प्रत्येक बैठक का संयोजन करना।

(ख) संस्था की ओर से पत्राचार करना।

(ग) पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना।

(घ) आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना।

(ङ) संस्था के निधि का अंकेक्षण करना।

(च) कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना।

(छ) कार्यकारिणी समिति की राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना।

(ज) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

कोषाध्यक्ष -

(क) प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, दान, चन्दा प्राप्त कर रसीद देना।

(ख) आय-व्यय का लेखा रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना।

(ग) संस्था के कोष की किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा करना।

(घ) आवश्यकतानुसार अपने पास 2500/- रू० तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य -**

(क) संस्था के चल एवं अचल सम्पति का उत्तरदायी होना।

(ख) संस्था के सभी कार्यों का संपादन विधिवत करना एवं प्रस्ताव पारित करना।

(ग) शाखा, उपशाखा का गठन करना।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य -**

(क) कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना।

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

(ख) अधीक्षक की नियुक्ति करना।

(ग) आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं पारित करना।

(घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना।

9. वैठक -

(क) कार्यकारिणी समिति की वैठक प्रत्येक 3 माह पर होगा।

(ख) आम सभा की वैठक प्रतिवर्ष अप्रैल माह में होगा।

(ग) आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की विशेष वैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

10. वैठक की सूचना -

(क) आम सभा की वैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

(ख) आम सभा की विशेष वैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी।

(ग) कार्यकारिणी समिति की वैठक की सूचना दिन पूर्व दी जायेगी।

(घ) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जायेगी।

(ङ) वैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जायेगी।

11. प्राथित वैठक -

एक तिहाई सदस्यों के लिखित माँग पर सचिव को एक माह के अन्दर वैठक का आयोजन करना होगा। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर वैठक का आयोजन नहीं कराते हैं तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन में लिखित विषय के लिए वैठक का आयोजन कर सकते हैं।

12. कोरम (गणपूर्ति) -

प्रत्येक वैठक का कोरम उसके कुल सदस्यों का सदाहरण बहुमत होगा। कोरम के अभाव में वैठक स्थगित हो जायेगी।

13. आय का श्रोत -

(क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क।

(ख) सरकारी, गैर सरकारी दान, अनुदान, सहायता।

(ग) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से।

(घ) चैरिटी शो (सहायतार्थ) का आयोजन।

14. कोष का संचालन -

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

15. निधि का अंकेक्षण -

(क) संस्था के आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा उसे सभा के द्वारा निविका अंकेक्षण से प्रतिवर्ष कराया जायगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक उसे विवेक से जब भी चाहें संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त ऐकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी।

16. कानूनी कार्यवाई -

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्यवाई सचिव के पदनाम से होगा तथा अधिववता की नियुक्ति समितिं की सलाह से की जायेगी।

17. पंजी का निरीक्षण -

संस्था की सभी पंजिया निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं।

18. नियमावली में संशोधन -

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

19. विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था -

(ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा 13 आलोक में सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।

(घ) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा।

(ङ) विघटन के उपरान्त जो चल या अचल संपत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बाँटी जायेगी, बल्कि आम सभा की सहमति के समान उद्देश्य वाला या दूसरी संस्था को दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष	कोपाध्यक्ष	सचिव

Manager
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar

Principal
Mother Teresa Public School
Dularpur, Ara, Bhojpur, Bihar